

॥३॥७





पत्रावली लघुकाम फॉलोअप डेम्प कोर्ट अंगियावास
में पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित/पिछले
डेम्प में भी नोटिस भेजे गए थे जिसमें भी

सहायक फॉलोअप ऑफिसर

३

प्रतिवादी ही उपस्थित / प्रतिवादी द्वारा जारी का मुख्य
 प्रमाण पत्र मय सरपंच के प्रमाण पत्र के पेश किया
 गया व बताया गया कि भोपालराम की मुख्य
 म/ग 16 को ले चुकी है व उरीय मुख्य हुए
 दस माह का समय बीत चुका है एवं वादी के
 कायम मुकाम की कोई कार्यवाही जारी नहीं है
 एवं वादी के वारिसान द्वारा नहीं की गई है।
 जो कि न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है।
 क्योंकि मृत व्यक्ति वाद नहीं चला सकता है।
 प्रतिवादी की अर्चना पर गौर किया गया एवं
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि
 वादी की मुख्य ले रखी है एवं उसके वारिसान
 श्री आज दिनांक तक न्यायालय के सम्मुख
 प्रस्तुत नहीं हुए हैं एवं पत्रावली के गुणावगुण
 पर अवलोकन पश्चात ये प्रतीत होता है कि



(Signature)
 सहायक जज नरेश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
 मधुपुर

संशोधन
दस्तावेज

दस्तावेज का कार्यावाही मंत्र इतिहासिक पत्र

जादी के धारिता का चयन नहीं करते हैं
अतः लोअवकाश उम्मेदों की शक्ति का
प्रतिवर्ती द्वारा प्रकृत दातावेजात के आधार
पर उम्मेद पत्रावली अथवा कार्यावाही में
स्वीकार की जाती है।

पत्रावली केसल शुमार ले उम्मेद
नम्बर से उम्मेद ले उम्मेद तफसील दाखिल दफ्तर
ले।



संशोधन दस्तावेज का कार्यावाही मंत्र (पत्रावली)
अथवा